सत्यमेव जयते

शहरों की रेटिंग:

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति

बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

wsp water and sanitation program

NUSP NATIONAL URBAN SANITATION POLICY
TOWARDS CITY WIDE SANITATION

शहरों का श्रेणी-निर्धारण (रेटिंग): राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

1 क्यों भारत सरकार ने स्वच्छता के लिए शहरों की राष्ट्रीय श्रेणी-निर्धारण की शुरूआत की है?

भारत सरकार द्वारा स्वच्छता हेतु शहरों की श्रेणी-निर्धारण की शुरूआत राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति (एनयूएसपी) के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की गई है,[1] जो भारत के शहरों और नगरों को पूर्णतया स्वच्छ, स्वस्थ, और जीवनोपयोगी बनाने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस क्रिया में कार्यनिष्पादन के विभिन्न मापदंडों पर 423 शहरों (जिनकी जनसंख्या 100,000 से अधिक है)[2] की श्रेणी-निर्धारण की गई। इन्हें विभिन्न संकेतकों के माध्यम से मापा गया है जिसमें पूर्ण स्वच्छता को प्राप्त करने से संबंधित उपलब्धियों से जुड़े भौतिक बुनयादी ढांचों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं, और परिणामों को शामिल किया गया है (देखें बॉक्स 1)। प्रथम राष्ट्रीय श्रेणी-निर्धारण को वर्ष 2009 में संचालित किया गया था और इसके परिणाम मई 2013[3] में प्रकाशित किए गए थे। (जानकारी के लिए www.urbanindia.nic.in देखें)

श्रेणी-निर्धारण क्रिया का उपयोग निम्न के लिए किया गया था:

- स्वच्छता पर अंतरा-शहरी और अंतर-शहरी आंकड़ों की तुलना।
- समय के अंतराल में मानक संकेतकों के सापेक्ष शहरों में हुए सुधार की मॉनिटरिंग एवं मापन।
- पूर्णतया स्वच्छ शहरों के सृजन की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करना।
- कमजोर कार्यनिष्पादन वाले क्षेत्रों की समस्याओं को चिन्हित व करने निदान हेतु राज्यों व शहरों को परिणामों को उपयोग करने की अनुमति देना।
- देश में स्वच्छता की स्थिति के सुधार की ओर अग्रसर बेहतर नियोजन और निवेश पर जोर देने के साथ शहरों को वृहद-शहर की सोच में सहयोग देना।
- शहरों के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को संस्थापित करना।
- राष्ट्रीय सम्मानों के माध्यम से स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए प्रेरित और चिन्हित करना।

बॉक्स 1: एक पूर्णतया स्वच्छ शहर...

स्वच्छता कामगारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हाथ से मैला ढोने की प्रक्रिया को दूर करता है और पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करता है।

- सभी अपशिष्ट जल या गीले कचरे का सुरक्षात्मक तौर पर एकत्रण, उपचार, और निपटान।
- जहां कहीं संभव हो उपचारित किए गए अपशिष्ट जल का गैर पीने योग्य प्रयोजनों के लिए पुनःचक्रित और पुनःउपयोग को कार्यान्वित करना।
- सभी ठोस अपशिष्ट को सुरक्षित ढंग से एकत्र, उपचार और निपटान करता है।
- गरीब लोगों हेतु स्थायी स्वच्छता सेवाएं प्रदान करता है।

---

[1] राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति को भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में प्रारंभ किया गया था।

[2] इन्हें श्रेणी I शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रेटिंग क्रिया के तहत कुल 441 श्रेणी I शहरों को शामिल किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन चूंकि इस क्रिया में शहरी कचरों के ढेरों को भी शामिल किया गया था, कई मामलों में छोटे शहरों को पड़ौसी बड़े शहर के कार्यक्षेत्र के साथ सम्मिलित कर लिया गया था, जिससे कि रेटिंग की गई शहरों की संख्या में कमी आ गई। हैदराबाद शहर इसका महत्वपूर्ण अपवाद रहा; जैसे कि पड़ौसी शहरों को इसके साथ सम्मिलित नहीं किया गया और प्रत्येक के लिए पृथक तौर पर रेटिंग संचालित की गई।

[3] रेटिंग क्रिया के लिए दिए जाने वाले अंको का निर्धारण करने हेतु सर्वेक्षण को दिसंबर 2009 से मई 2010 के बीच संचालित किया गया।

2 श्रेणी-निर्धारण क्रिया क्या है?

19 संकेतकों के आधार पर शहरों की स्वच्छता प्रदर्शन की श्रेणी-निर्धारण का मापन किया गया, जिसने इसके लिए मानकों अथवा बेंचमार्क का निर्धारण किया। श्रेणी-निर्धारण का मापन प्रदर्शन पूरे स्वच्छता के चक्र से जुड़ा हुआ है, जिसमें सभी गीले और ठोस अपशिष्ट हेतु सुरक्षित सुलभता, एकत्रण, उपचार, और निपटान आते हैं।

यह क्रिया न केवल शहरों की भौतिक बुनयादी ढांचे अथवा उसमें लगे खर्चे के आधार पर श्रेणी-निर्धारण करता है बल्कि इसके परिणामों अथवा प्राप्त किए लक्ष्यों; और गीले और ठोस अपशिष्टों की सुरक्षित सुलभता, एकत्रण, उपचार, और निपटान हेतु शहरों द्वारा अपनाए गए क्रिया व प्रक्रिया पर भी सशक्त जोर देता है। श्रेणी-निर्धारण इस बात की भी पहचान करता है कि उन्नत लोक स्वास्थ्य और वातावरणीय मानक इसके दो प्रमुख परिणाम है जिसे इसके नागरिकों के लिए प्राप्त करने का प्रयास शहरों द्वारा किया जाना चाहिए।

उच्च कार्यप्रदर्शन वाले शहरों को निर्मल शहर पुरस्कार (स्वच्छ और हरित शहर पुरस्कार) से सम्मानित किया जाएगा।

3 इसे कितनी बार या कितने अंतराल में किया जाएगा?

इस श्रेणी-निर्धारण क्रिया को प्रत्येक दो-वर्ष में एक बार (द्विवर्षीय) प्रस्तावित किया गया है जिसे शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इससे शहरों को अपनी कार्य योजनाओं को कार्यान्वित करने और संकेतकों में सुधार करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। आगे, यह अपेक्षा की गई है कि राज्य अपने शहरों के लिए श्रेणी-निर्धारण सर्वेक्षण कराएंगे और राज्य-स्तरीय पुरस्कारों की घोषणा भी करेंगे जिससे कि शहरों को बेहतर कार्यप्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

4 शहरों की 'श्रेणी-निर्धारण' और 'रैंकिंग' में क्या अंतर है?

एक 'श्रेणी-निर्धारण' क्रिया में निर्धारित मानकों और बेंचमार्क के आधार पर स्वच्छता कार्यप्रदर्शन का तुलनात्मक मापन किया जाता है। वर्तमान श्रेणी-निर्धारण क्रिया में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित सेवा स्तर मापदंडों का उपयोग किसी शहर की स्वच्छता कार्यप्रदर्शन के उचित मानकों के रूप में मापन के लिए किया गया है।[4] किसी विशेष पहलू या संकेतक हेतु विशिष्ट मानकों के उपलब्ध नहीं होने के मामले में मानकों को सृजन किया गया और मापन कार्यविधि का विस्तारण हितधारकों और शहरी स्वच्छता पर राष्ट्रीय सलाहकार समूह से परामर्श के उपरान्त किया गया। उदाहरण के लिए खुले में शौच हेतु रिकॉर्डिंग के मामले में, सर्वेक्षण अभिकरणों से अपेक्षित था कि वे खुले में शौच की घटनाओं की गणना अपने कुल स्थल दौरे के बिन्दुओं की प्रमात्रा के आधार पर करें। उनसे यह भी अपेक्षित था कि वे रेलवे स्टेशनों के आसपास तथा इसकी 1 किलोमीटर की परिधि का भी अवलोकन करें।

श्रेणी-निर्धारण किसी शहर को अपना अवलोकन करने में मदद करता है कि निर्धारित मापदंडों की तुलना में विभिन्न संकेतकों के लिए वह किस स्तर पर आता है।

हालांकि, अंकों की गणना में शहरों को कुछ क्रमों अथवा तुलनात्मक श्रेणियों में रखना भी शामिल है। इसलिए शहरों की 'रैंकिंग' के लिए राष्ट्रीय श्रेणी-निर्धारण क्रिया के तौर पर उभर कर आया है। शहरों को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि वे अपनी श्रेणी-निर्धारण को किस प्रकार सुधारें। रैंकिंग, विभिन्न वर्गों में से शहरों के समूहन का एक उपोत्पाद है, और इसे स्थिति हेतु परिशुद्ध तुलना के तौर नहीं लिया जाना चाहिए जो कि इस क्रिया का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है।

[4] वर्ष 2006 में, वरिष्ठ विशेषज्ञों के एक कोर समूह का गठन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था जिससे कि शहरी पर्यावरणीय सेवाओं के लिए मानक कार्यप्रदर्शन मापदंडों की एक साझी मापदंड संरचना को विकसित किया जा सके। सेवा स्तरीय बेंचमार्किंग हैंडबुक (www.urbanindia.nic.in पर उपलब्ध), जिसमें 28 कार्यप्रदर्शन संकेतकों को चार क्षेत्रों के लिए; नामतः जल, स्वच्छता, बाढ़ जल नाली और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; को अंतिम रूप दिया गया और सभी राज्यों को सितंबर 2008 में प्रेषित किया गया।

5 श्रेणी-निर्धारण क्रिया में किन शहरों को शामिल किया गया

देश के सभी श्रेणी I शहरों को राष्ट्रीय श्रेणी-निर्धारण क्रिया में शामिल किया गया है। श्रेणी I शहरों में 207 मिलियन लोग रह रहे हैं, जो भारत की कुल जनसंख्या का 72 प्रतिशत (2001 की जनगणना) हैं।[5]

इन शहरों में महानगर, बड़े श्रेणी I शहर और अन्य श्रेणी I शहर शामिल हैं।

शहरों के संवितरण को तालिका 1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1: जनसंख्या के आधार पर शहरों के संवितरण के अधीन श्रेणी-निर्धारण क्रिया

शहरों की श्रेणी	जनसंख्या का आकार-शहरों का वर्ग मूल्यांकन	शहरी समूह/कस्बों की सं.
महानगर (मेट्रो)	5 मिलियन से अधिक	6
बड़ी श्रेणी I	1 से 5 मिलियन	29
अन्य श्रेणी I	1,00,000 से 1 मिलियन	388
सभी श्रेणी I शहर		423

नोटः कुल 441 श्रेणी I शहरों को श्रेणी-निर्धारण क्रिया के अधीन शामिल किया गया जाना प्रस्तावित था। हालांकि, इस क्रिया में शहरी कचरों के ढेरों को भी शामिल किया गया था, इसलिए कई मामलों में छोटे शहरों को पड़ौसी बड़े शहर के कार्यक्षेत्र के साथ सम्मिलित कर लिया गया, जिससे कि श्रेणी-निर्धारण की गई शहरों की संख्या में कमी आ गई। हैदराबाद शहर इसका महत्वपूर्ण अपवाद रहा; जैसे कि पड़ौसी शहरों को इसके साथ सम्मिलित नहीं किया गया और प्रत्येक के लिए पृथक तौर पर श्रेणी-निर्धारण संचालित की गई।

[5] 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या लगभग 285 मिलियन थी, या 54 करोड़ घर थे

6 श्रेणी-निर्धारण क्रिया के लिए भौगोलिक अंचल क्या थे?

पूरे देश को पाँच अंचलों (जोन) में विभाजित किया गया थाः उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर, तथा मध्य व दक्षिण मध्य। पूरे अंचलों में भारतीय श्रेणी I शहरों के संवितरण को तालिका 2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2: श्रेणी-निर्धारण अभ्यासों के लिए पाँच अंचलों में राज्यों का संवितरण

अँचल	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	श्रेणी I शहरों की संख्या/ शहरी समूह	फर्म
उत्तर अँचल	दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश	98	एसी नील्सन
मध्य और दक्षिण मध्य अँचल	आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और ओडिशा	88	
पूर्व और उत्तर पूर्व अँचल	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी	94	विकास और अनुसंधान सेवाएं
दक्षिण अँचल	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी	62	
पश्चिम अँचल	गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान	81	पर्यावरणीय योजना और प्रौद्योगिकी केंद्र (सीईपीटी विश्वविद्यालय)

7 श्रेणी-निर्धारण क्रिया का पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन किसने किया?

श्रेणी-निर्धारण क्रिया को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किया गया है। शहरी स्वच्छता पर राष्ट्रीय सलाहकार समूह[6], जिसका गठन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति तथा राष्ट्रीय श्रेणी-निर्धारण क्रिया के सर्वेक्षण एवं कार्यान्वयन के लिए शीर्ष निकाय है। इसकी भूमिका में राज्यों और शहरों की प्रगति की समीक्षा और मॉनिटरिंग करना; श्रेणी-निर्धारण कार्यविधि का निर्धारण; श्रेणी-निर्धारण के अंतिम परिणामों का अनुमोदन; और निर्मल शहर पुरस्कार हेतु समर्थन करना शामिल है। श्रेणी-निर्धारण क्रिया में कार्यविधि पर राज्यों और शहरों के साथ विस्तृत परामर्श, डाटा संग्रहण, और डाटा वैद्यीकरण शामिल है; परिणामों को राज्यों और शहरी अभिशासनों के साथ चर्चा एवं श्रेणी-निर्धारण की पुष्टि के उपरान्त ही घोषित किया गया।

पाँच अंचलों के लिए तीन सर्वेक्षण अभिकरणों का चयन किया गया जिसके माध्यम से 423 शहरों (नामों और विवरणों के लिए देखें तालिका 2) को शामिल किया गया था। एक स्वतंत्र मूल्यांकन समिति द्वारा फर्मों का चयन कठोर चयन मापदंड का उपयोग करते हुए किया गया था।

सर्वेक्षण के परिचालन के पूर्व श्रेणी-निर्धारण अभिकरणों को कार्यविधि पर व्यापक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मंत्रालय ने बहुतही करीबी तौर पर अभिकरणों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों और स्थल दौरों की मॉनिटरिंग की।

8 शहरों को किस प्रकार अंक दिए गए हैं?

शहरों को 19 संकेतकों के आधार पर श्रेणी-निर्धारण किए गए हैं जिनका कुल अंक 100 बिन्दुओं पर एक सामान्य कार्यविधि के आधार पर निर्धारित किया गया है। इन संकेतकों को तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया हैः परिणाम, प्रक्रिया, और परिणाम संकेतक।

परिणाम संकेतक का तात्पर्य ऐसे शहरों से है जिन्होने कुछ परिणामों को प्राप्त कर लिया है अथवा स्वच्छता के विभिन्न आयामों में परिणाम हासिल किए हैं जो शौचालयों की सुलभता से लेकर, सुरक्षित एकत्रण प्रणाली, अपशिष्ट की मात्रा और सृजित ठोस अपशिष्ट जिसे शहर के वातावरण को बिना किसी हानि के उपचारित किया गया हो आदि, शामिल हैं। ऐसे नौ परिणाम संकेतक हैं और इनकी गणना कुल 50 अंकों के लिए होती है।

प्रक्रिया संकेतक का तात्पर्य ऐसी प्रणाली और प्रक्रियाओं से है जो विद्यमान है और शहर के अभिकरणों द्वारा स्थायी स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए प्रचालन में लाई जाती हैं। इसमें उचित मॉनिटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना करने हेतु निर्धारित अंक आते हैं, और साथ ही जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2000 के प्रावधानों के अनुपालन में हो, तथा अन्य ऐसे सात प्रक्रिया संकेतक हैं जिनके कुल अंक 30 निर्धारित किये गये हैं।

परिणाम संकेतकों में स्वास्थ्य और पर्यावरण परिणाम आते हैं, जिनका वर्तमान चक्र में मापन किया गया हो जैसे कि पीने के पानी की गुणवत्ता, शहर में पीने के पानी के स्रोत की गुणवत्ता, और किसी निश्चित समय में शहर में स्वच्छता की कमी से जल-जनित रोगों में कमी आदि हैं। ऐसे तीन परिणाम संकेतक है और इनके कुल अंक 20 निर्धारित किये गये है।

तालिका 3 तीन समूहों में उक्त 19 संकेतकों और उनके महत्व को प्रदर्शित करती है[7]।

---

[6] शहरी विकास मंत्रालय द्वारा गठित एनएजीयूएस एक अंतर-मंत्रालयी सलाहकार समूह हैं जिसमें पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय), शहरी विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, गृह एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग, गैर सरकारी संगठनों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और ओडिशा के शहरी विकास राज्य सचिवों, अन्य विशेषज्ञों और विशेष आमंत्रितों को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।

[7] अंको की प्राप्ति और साइट के चयन के विस्तृत विवरण के लिए शहरों की रेटिंग की कार्यविधि को www.urbanindia.nic.in पर देखें।

तालिका 3: राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के अंतर्गत शहरों की श्रेणी-निर्धारण हेतु संकेतकों की सूची

संकेतक बिन्दुओं की सूची	अंक
1. परिणाम-संबंधित संकेतक i) खुले में शौच नहीं - शहरी गरीबों और अन्य लाभ से वंचित परिवारों (झुग्गियों को मिलाकर) द्वारा शौचालयों की सुलभता और उपयोग। व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता सुविधाएं (4) - घुमंतू और औद्योगिक जनसंख्या द्वारा शौचालयों की सुलभता और उपयोग। पर्याप्त सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाएं (4) - खुले में कोई भी शौच दृश्य नहीं (4) - हाथ से मैला ढोने को समाप्त करना और स्वच्छता कामगारों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करना (4)	**50** 16
ii) सुरक्षित तौर पर एकत्र किए गए सृजित मानव मल की कुल प्रमात्रा।	6
iii) सृजित काले अपशिष्ट जल की कुल प्रमात्रा जिसका सुरक्षित तौर पर उपचारित और निपटान किया गया। iv) सृजित स्लेटी अपशिष्ट जल की कुल प्रमात्रा जिसे सुरक्षित तौर पर उपचारित और निपटान किया गया।	9
v) उपचारित अपशिष्ट जल की कुल प्रमात्रा जिसे गैर-पीने योग्य अनुप्रयोगों के लिए पुनर्चक्रित और पुनःउपयोग किया गया।	3
vi) बरसात का पानी और नाली की कुल प्रमात्रा जिसका पर्याप्त और सुरक्षित तौर पर प्रबंधन किया गया।	3
vii) कुल सृजित ठोस अपशिष्ट की प्रमात्रा जिसे नियमित तौर पर एकत्रित किया गया।	4
viii) कुल सृजित ठोस अपशिष्ट की प्रमात्रा जिसका उपचारित और सुरक्षित तौर पर निपटान किया गया।	4
ix) शहर का कचरा जो शहर की बाहरी सीमाओं के आसपास के क्षेत्रों में कोई भी दुष्प्रभाव नहीं डालता हो।	5
2. प्रक्रिया-संबंधित संकेतक i) खुले में शौच की घटनाओं का पता लगाने के लिए मॉनिटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना की गई है	**30** 4
ii) शहर में सभी सीवरेज प्रणालियाँ ठीक ढंग से कार्य कर रही है और कोई भी पूर्व में छानने का कार्य नहीं है	5
iii) सेप्टेज/मलवे को नियमित साफ किया जाता, सुरक्षित ले जाया जाता, और उपचार के उपरान्त निपटान किया जाता है, शहर में नियत स्थान पर स्थापित प्रणालियों द्वारा	5
iv) भूमिगत और सतही नाली प्रणालियां ठीक ढंग से कार्य कर रही है और अच्छी तरह अनुरक्षित हैं	4
v) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एकत्रण और उपचार) प्रणालियां प्रर्याप्त हैं (और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2000 के अनुरूप हैं)।	5
vi) कोई भी स्पष्ट संस्थागत जिम्मेदारी सौंपी नहीं गई है, और उपरोक्त (ii) से (V) के लिए प्रचालन में दस्तावेजी परिचालनगत प्रणालियां हैं।	4
vii) गंदगी फैलाने वालों और संस्थाओं के विरूद्ध उल्लंघन के लिए स्पष्ट प्रतिबंधों को निर्दिष्ट किया गया है और उसे कार्यान्वत किया जा रहा है	3
3. **परिणाम-संबंधित संकेतक** i) बेसलाइन या आधार रेखा की तुलना में शहरों में पीने के पानी की गुणवत्ता में सुधार	**20** 7
ii) बेसलाइन की तुलना में शहर में तथा इसके आसपास जलस्रोतों में जल की गुणवत्ता में सुधार	7
iii) बेसलाइन की तुलना में शहरी जनसंख्या में जल-जनित रोगों की आवृत्ति में कमी	6
कुल (उत्पादन संकेतक$ प्रक्रिया संकेतक$ परिणाम संकेतक)	**100**

9 श्रेणी-निर्धारण क्रिया के लिए आंकड़े किस प्रकार एकत्र किए गए थे?

चूंकि प्रत्येक सूचक के लिए विस्तृत आंकड़े उपलब्ध होने की संभावना नहीं थी, श्रेणी-निर्धारण अभिकरण ने प्रकाशित सूचना और शहर में उपलब्ध सूचना के मिश्रण का प्रयोग किया।

इसमें निम्नलिखित से प्राप्त सूचना/आंकड़े शामिल हैं:

1. यूएलबी और/अथवा पानी और स्वच्छता उपयोगिता। जानकारी में शौचालय को ढकने, खुले में शौच की सीमा, मैला ढ़ोने, कचरे का उपचार और निपटान आदि शामिल है।
2. प्रकाशित स्रोत जैसे कि भारत की जनगणना जो यूएलबी द्वारा प्रदान की जा रही कुछ जानकारी में बढ़ोतरी करते हैं।
3. नदी के पानी की गुणवत्ता और उपचार के बाद अपशिष्ट की गुणवत्ता पर प्रदूषण नियंत्रण अभिकरण। इसमें पीने के पानी (मानव मलमूत्र और घर के कचरे से प्रदूषण के लिए) के सीमित नमूने और विश्लेषण तथा शहर में जल निकायों में पानी की गुणवत्ता की जानकारी भी शामिल थे।
4. अतिसारीय रोगों और अन्य स्वास्थ्य संकेतकों पर स्वास्थ्य विभाग/अभिकरण ।
5. नए भवनों या विकास के लिए अनुमतियों पर विकास अभिकरण (घरेलू स्वच्छता और निपटान के लिए व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रयोग किया गया)।

प्रत्येक अभिकरण ने निर्धारित पद्धति का कड़ाई से पालन किया और एक सलाहकार और सहयोगी के रूप में शहरों से आंकड़े एकत्र किए। इसके बाद सभी आंकड़ों की पुष्टि की गयी और व्यापक क्षेत्रीय दौरों और सर्वेक्षणों के माध्यम से जांच की गई।

आंकड़ों के संग्रहण और क्षेत्र सर्वेक्षण के बाद अभिकरणों ने संबंधित शहर के आंकड़े सत्यापन के लिए उनके सामने प्रस्तुत किए। शहरों ने यह सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ों पर प्रतिहस्ताक्षर किए कि वे एकत्र आधारभूत आंकड़ों के बारे में जानते थे और आंकड़े उनके ही हैं इस बात को सुनिश्चित किया।

10 शहरों की श्रेणी-निर्धारण को रंगों की कोडिंग द्वारा दिखाया गया है। रंगों की कोडिंग का क्या मतलब है?

सौंपे गए अलग-अलग कार्यों के आधार पर 100 बिन्दुओं को मानते हुए शहरों को श्रेणी-निर्धारण अंक दिये गए हैं। एक बार अंकों की गणना कर लेने के बाद शहरों को श्रेणी-निर्धारण क्रिया में उनको प्राप्त अंकों के आधार पर चार रंगों की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, लाल, काला, नीला या हरा। प्रत्येक रंग कोड शहर की स्वच्छता की स्थिति से संबन्धित है। उदाहरण के लिए, जो शहर 33 से कम अंक प्राप्त करता है उसे 'लाल' सिटी के रूप में श्रेणी-निर्धारण दी जाती है और उस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, जिस शहर ने 91 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं उसे 'हरे' शहर के रूप में श्रेणी-निर्धारण दी गयी है और उसको एक स्वस्थ और स्वच्छ शहर माना जाता है। तालिका 4 में अंकन योजना और संबद्ध रंग की कोडिंग की जानकारी दी गयी है।

तालिका 4: शहर के रंग कोड और उनकी श्रेणियां

श्रेणी	विवरण	अंक
लाल	जिन शहरों में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है	<33
काला	काफी सुधार की आवश्यकता होगी	<34 ≤66
नीला	उभर रहा है लेकिन अभी भी रोगग्रस्त	<67 ≤ 90
हरा	स्वस्थ और स्वच्छ शहर	<91 ≤ 100

11 शहर के सर्वेक्षण के लिए स्थानों का चयन कैसे किया गया था?

सभी अभिकरणों ने एक सामान्य पद्धति का पालन किया जिसमें क्षेत्र आंकड़ा संग्रहण और विश्लेषण के लिए मानक उपकरणों और प्रोटोकॉल की विस्तृत जानकारी दी गयी है।

श्रेणी-निर्धारण अभिकरण को प्राथमिक क्षेत्र के दौरों/सर्वेक्षण के लिए प्रत्येक शहर में स्थानों का चयन करना था। स्थान चयन के लिए, अभिकरणों को महानगरों/प्रथम श्रेणी के बड़े शहरों को छह अंचलों में और प्रथम श्रेणी के अन्य शहरों को चार अंचलों में विभाजित करना था।[8] चुने और सर्वेक्षण किए गए क्षेत्रों में बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बाजार क्षेत्र और व्यापारिक जिले, मलजल उपचार संयंत्र, यदि उपलब्ध हैं, ठोस अपशिष्ट सैनिटरी लैंडफिल या अनियंत्रित डंपिंग साइट और ऐसे क्षेत्र जहां तरल और ठोस कचरे को डाले जाने की संभावना थी (उदाहरण के लिए, नदियां, नहरें, नाले, झीलें, तालाब) जैसे मुख्य सार्वजनिक स्थान शामिल हैं।

सर्वेक्षण अभिकरणों ने नगरीय शासन के साथ विस्तृत बैठकों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद स्थानों को चुना है और आधारभूत आंकड़े एकत्र किए हैं। जब आंकड़ों का संग्रहण किया जा रहा था और क्षेत्र सर्वेक्षण चल रहा था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आंकड़े स्पष्ट और निष्पक्ष हों, सख्त निगरानी सुनिश्चित की गयी थी। श्रेणी-निर्धारण अभिकरणों ने शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारियों से सहयोग लेने का हर संभव प्रयास किया। क्षेत्रीय आंकड़ों की कड़ाई से जाँच की गयी और अंकों को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित शहरों और राज्यों से उनकी पुष्टि कराई गयी।

8 महानगरों, प्रथम श्रेणी के बड़े शहरों में, विभाजन के क्षेत्रों में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों के अलावा एक मध्य क्षेत्र और एक उप-नगरीय क्षेत्र होगा। प्रथम श्रेणी के अन्य शहरों में, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र होंगे।

12 क्या श्रेणी-निर्धारण के बाद के चक्रों में कार्यप्रणाली बदल

यह देखते हुए कि यह श्रेणी-निर्धारण का पहला चक्र था, संकेतकों के लिए क्रिया 'आधार रेखा' से शुरू किया गया जिसके आधार पर बाद के चक्रों में स्वच्छता में हुए सुधार को मापा जा सकता है। विभिन्न चक्रों से प्राप्त फीडबैक के बाद श्रेणी-निर्धारण क्रिया में सुधार किया जाएगा। यद्यपि, कार्यप्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि क्रिया समय के साथ तुलनीय है और हो रही प्रगति के साथ संगत बनाया जा रहा है।

मौजूदा कार्यप्रणाली में शहरों द्वारा स्वच्छता प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार देखने के बाद ही शहरी स्वच्छता पर राष्ट्रीय सलाहकार समूह द्वारा संशोधन किया जा सकता है। प्रत्येक सूचक श्रेणी के महत्व या आवंटित अंकों को संशोधित किया जा सकता है। समय के साथ-साथ जैसे शहरों की श्रेणी-निर्धारण में सुधार होता है, सूचकों को और अधिक कठोर बनाया जाएगा। उदाहरण के लिए, भविष्य के संकेतकों में कोई पेशाब नहीं करेगा या खुले/सार्वजनिक स्थलों आदि पर कोई नहीं थूकेगा, शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, परिणाम संकेतकों और प्रत्येक श्रेणी को दिये गए महत्व को अधिक से अधिक महत्ता दी जाएगी और तदनुसार विशिष्ट संकेतकों को संशोधित किया जा सकता है।

13 हम अपने शहर की श्रेणी-निर्धारण में कैसे सुधार कर सकते हैं?

श्रेणी-निर्धारण क्रिया के पहले चक्र के लिए एकत्र किए गए आंकड़े शहर में ठोस और तरल अपशिष्ट उत्पादन, संग्रह, उपचार, और निपटान के संबंध में स्वच्छता सेवाओं के अपने वर्तमान स्तर को समझने के लिए एक व्यापक आधार रेखा प्रदान करता है। श्रेणी-निर्धारण का अभिप्राय शहरों को अपनी स्वच्छता को प्राथमिकता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उनको अपनी सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए उन्हें प्रेरित करने में मदद करना है। इस क्रिया ने शहरों को लाल, काले, नीले या हरे रंग की प्रासंगिक श्रेणी में निष्पक्ष स्वमूल्यांकन के माध्यम से स्वयं को स्थापित करने के लिए सक्षम बनाया है।

शहरों को शहरी स्वच्छता योजना (सीएसपी) के विकास और कार्यान्वयन द्वारा सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए इन परिणामों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। उन्हें लंबी अवधि में स्वच्छता योजना बनाने की प्राथमिकता की जरूरत होगी और उन योजना क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा, जिनके लघु, मध्यम और लंबी अवधि के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तथापि, कई तत्काल गतिविधियों के लिए शहरी स्वच्छता योजनाओं को अंतिम रूप देने और क्रियान्वयन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, कुछ गतिविधियों को कम समय और थोड़े वित्तीय संसाधनों के साथ पूरा करना संभव हो सकता है (बॉक्स 2 को देखें)। दूसरे उपायों के लिए अधिक संसाधन और समय की आवश्यकता हो सकती है (शहरी स्थानीय निकाय संगठनात्मक ढांचे में सुधार, मलजल उपचार संयंत्र वित्तपोषण, सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और संचालित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को आमंत्रित करने और आदि आदि)। किसी शहर की श्रेणी-निर्धारण में सुधार करने के लिए, उस शहर को न केवल बुनियादी सुविधाओं या सीवरेज पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सेप्टेज प्रबंधन में सुधार और साइट पर शौचालय के बेहतर प्रबंधन भी उच्च स्कोर का निर्धारण करने में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और वास्तव में, कम समय में ऐसा करना आसान है।

बॉक्स 2: तत्काल कार्रवाई जिससे शहरों की श्रेणी-निर्धारण में सुधार हो सकता है:

सभी कार्यों के लिए शहर स्वच्छता योजना तैयार करने और पूरा होने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। शहर अपने श्रेणी-निर्धारण स्कोर में सुधार के लिए कुछ तत्काल कदम उठा सकते हैं। इन कार्यों में निम्नलिखित उपाय शामिल हो सकते हैं:

- सुनिश्चित करना कि सेप्टिक टैंकों का निर्माण और रखरखाव ठीक से किया जा रहा है और उनको नियमित रूप से साफ किया जा रहा है।
- वर्तमान सुविधाओं का उचित उपयोग और रखरखाव सुनिश्चित करके गरीब और अस्थायी आबादी को स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना।
- जागरूकता द्वारा खुले में शौच को हतोत्साहित करना और व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाने के लिए अभियान चलाना।
- सभी ठोस कचरे का सुरक्षित संग्रहण।
- मानकों को पूरा करने के लिए उचित नियमों और विनियमों को लागू करना, जैसे कि किसी 'प्रदूषण फैलाने वाले को भुगतान करने का सिद्धांत'।
- तूफानी बारिश के पानी की नालियों का कुशल और सुरक्षित प्रबंधन।
- सफाई कामगारों को सुरक्षा औजार और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना।
- सीवरेज/सेप्टेज प्रणालियों से संबंधित शिकायतों के लिए एक कार्यरत शिकायत निवारण प्रणाली सुनिश्चित करना।

14 श्रेणी-निर्धारण क्रिया का हिस्सा बनने वाले शहरों के लिए क्या पुरस्कार और प्रोत्साहन दिये जाते

श्रेणी-निर्धारण क्रिया से शहरों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार उनके कार्यनिष्पादन के एक निष्पक्ष मूल्यांकन के माध्यम से स्वच्छता में लगातार सुधार को प्रदर्शित करने के लिए सक्षम बनाना है। इसके अलावा, शहरों को 'निर्मल शहर पुरस्कार' नामक एक राष्ट्रीय पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जाता है। श्रेणी-निर्धारण क्रिया ने शहरों के लिए एक आधार रेखा बनाने में मदद की है जिसके चारों ओर सुधारों को मापा जा सकता है। उल्लेखनीय परिणामों की उपलब्धि पर, जो कि एक नीली या हरित श्रेणी के शहर की स्थिति हो, शहर पुरस्कार के लिए पात्र होंगे।

चूंकि राज्य एक हरित शहर बनने के पैमाने को ऊपर ले जाने के लिए विभिन्न चरणों को लागू करने में अपने शहरों को सहयोग देने के लिए जिम्मेदार हैं, वे भी राज्य के भीतर शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना स्थापित करने की मांग कर सकते हैं।

शहरी विकास मंत्रालय भी उन शहरों की सिफारिश करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध कर सकते हैं जिन्होने प्रशंसनीय प्रदर्शन दर्शाया है, जो विधिवत सत्यापित करने के बाद एक मानद पुरस्कार के लिए पात्र हो सकते हैं। उक्त मानद पुरस्कार असाधारण उपलब्धियों के लिए दिये जाएंगे, विशेष रूप से शुरुआती चरण में, चूंकि शुरुआत में शत प्रतिशत स्वच्छता की उपलब्धि पाना मुश्किल हो सकता है।

15 क्या एक राज्य स्तरीय श्रेणी-निर्धारण क्रिया अधिक लाभकारी होगा?

इसकी पुरजोर शिफारिश की जाती है कि एक राज्य श्रेणी-निर्धारण क्रिया और एक राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना शुरू की जाए। इससे राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति और राज्य स्वच्छता रणनीतियों द्वारा कथित रूप से स्वच्छता परिणामों को प्राप्त करने के लिए राज्य के भीतर शहरी क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। जो शहर राष्ट्रीय श्रेणी-निर्धारण क्रिया का हिस्सा नहीं थे, उदाहरण के लिए, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहर, ऐसे राज्य श्रेणी-निर्धारण क्रिया का हिस्सा बन सकते हैं।

एक शहर, विशेष रूप से राज्यों की राजधानियां और बड़े शहर भी सेवा वितरण के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कर्मचारियों वार्डों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्रेरित करने के लिए वार्ड स्तर की श्रेणी-निर्धारण और पुरस्कार योजना तैयार कर सकता है।

16 ऐसे शहर जो प्रत्यक्ष रूप से गंदे और अस्वास्थ्यकर दिखते हैं, उन अन्य शहरों की तुलना में अधिक अंक क्यों पाते हैं, जो निश्चित रूप से अधिक साफ हैं? क्या इसका यह मतलब है कि इस क्रिया के परिणाम ठोस नहीं हैं?

स्वच्छता श्रेणी-निर्धारण मापक शहरों के प्रदर्शन उत्पादन, प्रक्रिया और परिणाम संकेतकों पर आधारित हैं (तालिका 3 देखें)। जबकि शहरों के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश महत्वपूर्ण था, शहरों के लिए व्यावहारिक पहलुओं और सभी प्रकार के कचरे के सुरक्षित संग्रह, उपचार और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं और निपटान जैसे संकेतकों, जिन सबके कारण स्वच्छता में सुधार होगा, पर भी सफलता दर्शाना उतना ही महत्वपूर्ण था। उदाहरण के लिए, किसी शहर में काफी मात्रा में ठोस अपशिष्ट कूड़े का भंडार हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उस शहर को एक 'गंदा' और 'पर्यावरण की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण' शहर मान लिया जाए और इन शहरों ने, हो सकता है, कि अन्य संकेतकों के मामलों में अच्छा प्रदर्शन किया हो। दूसरी ओर, हो सकता है कुछ शहर जो 'स्वच्छ' दिखते हैं उनके चारों ओर 'अदृश्य' कचरा पड़ा हो सकता है कि मानव मलमूत्र को सुरक्षित रूप से एकत्र और निपटारा न किया गया हो और आदि आदि। उदाहरण के लिए, ऐसे एक शहर के मामले में जहां गंगा बह रही है और जहां पर कई सीवरेज उपचार संयंत्र लगे हैं, शहर को अन्यथा सफाई की सामान्य धारणा के बावजूद परिणाम संकेतकों पर अच्छे अंक मिले हों। हो सकता है श्रेणी-निर्धारण क्रिया में शहरों को नीची श्रेणी-निर्धारण मिली हो (और इसलिए रैंकिंग दी गयी है)।

जबकि शहरों को विशिष्ट मानकों और प्रदर्शन मानक के आधार पर श्रेणी-निर्धारण दी गयी थी, शहरों को आवंटित अंक स्वयं ही शहरों की तुलनात्मक राष्ट्रीय रैंकिंग में आ जाते हैं और उन्हें चार व्यापक रंग कोड में रखा जाता है। रैंकिंग में सुधार से शहरों को व्यापक रंग श्रेणी में शामिल होने या बाहर हो जाने (यहाँ तक की उसमें बने रहने) में मदद मिलेगी। यद्यपि, शहरों को इसके बारे में और अधिक ध्यान देने की अवश्यकता होगी कि वे अपनी श्रेणी-निर्धारण में किस प्रकार सुधार कर सकते हैं, क्योंकि इससे प्रणाली, प्रक्रियाओं के प्रदर्शन में सुधार लाकर और स्वच्छता परिणामों द्वारा उनकी संबंधित रैंकिंग में स्वतः ही परिवर्तन आ जाएगा और इसलिए उनकी समग्र स्वच्छता की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा।

बॉक्स 3: मैं श्रेणी-निर्धारण पैमाने पर कैसे खरा उतर सकता हूँ?

हमारे यहाँ सीवर प्रणाली नहीं है। क्या यही कारण है कि हमें कम अंक मिले?

कोई शहर सीवर प्रणाली न होने के बावजूद भी अच्छे अंक पा सकता है, जब तक कि वहां सुरक्षित प्रसूति गृह, यातायात, उपचार और निपटान सुविधा उपलब्ध है। किसी शहर की साइट पर स्वच्छता व्यवस्था जैसे कि सेप्टिक टैंक, गड्ढे वाले शौचालय और आदि आदि, को महत्व दिया गया था (ऐसे शहरों के मामले में 100 प्रतिशत जहां नाली नहीं थी या सम्पत्तियों के अनुपात मिश्रित स्थितियों में उपलब्ध कराये गए हैं) और अंकों की गणना के लिए उनका उपयोग किया गया है। यह केवल मैले का संग्रह ही नहीं था अपितु उपचार भी था। इसका उस समय भी ध्यान रखा गया था जब इस वर्ग के लिए अंक दिये जा रहे थे।

आपने मेरे जलाशयों और पीने के पानी की गुणवत्ता का कैसे मूल्यांकन किया?

सतही जल स्रोतों के साथ-साथ पाइप के पानी/भूजल स्रोतों दोनों को शामिल करते हुए पानी की गुणवत्ता के लिए नमूनों का परीक्षण किया गया।

पीने के पानी के नमूनेः प्रत्येक सर्वेक्षण अभिकरण ने शहर के श्रेणी आकार के आधार पर पीने के पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए 20 से 30 नमूने एकत्र किए।[9] पचास प्रतिशत नमूने उन अध्ययन वाले स्थानों पर स्थित घरों के लिए गए थे, दूसरे 30 प्रतिशत सार्वजनिक स्रोतों से (समुदायिक नलों, हैंडपंपों और आदि-आदि) और शेष 20 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रों से लिए गए थे। थर्मो टोलरेंट कोलोफोर्म्स (टीटीसी), अवशिष्ट क्लोरीन और मैलेपन के लिए नमूनों का परीक्षण किया गया था।

जलाशयः शहर में और उसके आसपास के जलाशयों में पानी की गुणवत्ता परीक्षण के लिए, अभिकरणों ने शहर में पांच सबसे बड़े जलाशयों से पांच नमूने एकत्र किए। जलाशय शहर की सीमा के 0.5 किमी के भीतर थे, यदि शहर की सीमा के भीतर कोई जलाशय नहीं था, ऐसे मामलों में नमूने सतही जल (नदी, धारा, तालाब, और आदि-आदि) और/या भूजल (जहां शहर के आसपास कोई सतही जल स्रोत नहीं थे) से लिए गए थे। इन नमूनों की टीटीसी, घुलनशील ऑक्सीजन (डी ओ), बायोलॉजिकल आक्सीजन डिमांड (बीओडी) और रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड (सीओडी) के लिए परीक्षण किया गया।

सभी नमूने जांच के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित प्रयोगशालाओं में ले जाए गए थे।

[9] महानगरों के लिए 30 नमूने एकत्र किए गए थे, जबकि प्रथम श्रेणी के बड़े शहरों तथा प्रथम श्रेणी के अन्य शहरों, के लिए क्रमशः 25 और 20 नमूने एकत्र किए गए थे।

हमारे राज्य या शहर अभिकरण द्वारा मेरे शहर के लिए किए गए पानी के परीक्षण सफल रहे, लेकिन राष्ट्रीय श्रेणी-निर्धारण क्रिया द्वारा उन्ही मानकों पर किए गए परीक्षण विफल रहे। यह कैसे संभव है?

पानी के नमूनों का मैलापन, टीटीसी, और अवशिष्ट क्लोरीन के लिए परीक्षण किया गया था। श्रेणी-निर्धारण अभिकरणों द्वारा जांच किए गए पानी के नमूने उपयोगकर्ता के पास से लिए गए थे अर्थात घरेलू स्तर पर या सार्वजनिक अड्डे (स्टैंडपोस्ट) पर और आदि-आदि। हो सकता है कि राज्य या शहर अभिकरण द्वारा लिए गए नमूने पानी छोडने वाले स्थान से लेकर जांच किए गए होंगे अर्थात पानी संयंत्र या उपचार संयंत्र से लिए गए होंगे। इस प्रकार, पानी की गुणवत्ता वितरण प्रणाली में दूषित हो गयी होगी और इसलिए उसी परीक्षण पर असफल हो सकता है। परिणामों से उपयोगकर्ता के पास से लिए गए पानी के नमूनों का परीक्षण कराने के लिए शहरों को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पानी की आपूर्ति विशिष्ट जल गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं और पानी की गुणवत्ता निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली भी स्थापित की जा सकेगी।

मेरे शहर में कोई जलाशय नहीं है। नमूने कहां से लिए गए थे?

यदि शहर में कोई जलाशय नहीं था, तब शहर की सीमा के 0.5 किलोमीटर के भीतर स्थित जलाशयों का परीक्षण किया गया या, वैकल्पिक रूप से, भूजल के नमूने भारत सरकार द्वारा प्रमाणित प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए ले जाए गए थे।

यदि यूएलबी के पास स्थलीय स्वच्छता की व्यवस्था जैसे कि सेप्टिक टैंक और उनके रखरखाव संबंधी कोई डाटा उपलब्ध नहीं था तो अंक कैसे दिये गए थे?

श्रेणी-निर्धारण अभिकरणों को इस तरह के मामलों के लिए विशेष रूप से बहुत ही विशिष्ट दिशानिर्देश दिये गए थे। प्रत्येक शहर को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। यदि किसी शहर में कोई सीवर प्रणाली नहीं थी या आंशिक रूप से थी, सर्वेक्षण एजेंसी को यूएलबी से परामर्श करने और स्थलीय (ऑनसाइट) व्यवस्थाओं पर निर्भर संपत्तियों की संख्या का आंकलन करने की सलाह दी गयी थी और तब शहर के उन क्षेत्रों को क्षेत्रीय भ्रमण के लिए चुना जाए। अभिकरणों को उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने और नालियों या नालों में कचरा बहाने वाले गड्ढों या 'सेप्टिक' टैंकों के मामले या जहां पर सेप्टेज का सुरक्षित रूप से अन्यथा निपटारा नहीं किया जा रहा था, की जांच करने की आवश्यकता थी। अभिकरणों के पास ऐसे मामलों के पर्याप्त सबूत होने की जरूरत थी, उदाहरण के लिए, तस्वीरें लेकर और तैयार संदर्भ के लिए उनका रखरखाव करके।

कुछ प्रक्रिया संकेतकों पर शहरों को किस प्रकार अंक दिये गए थे, उदाहरण के लिए, प्रतिबंधों पर और कानून के विचलन पर और आदि-आदि?

श्रेणी-निर्धारण क्रिया के पहले चक्र में दिये गए अंकों से यह जानकारी मिली कि प्रतिबंध लगाए गए थे लेकिन प्रदूषण फैलाने वालों की ओर से विचलन किया गया था। श्रेणी-निर्धारण के लिए सबूत की आवश्यकता होती है, न केवल प्रतिबंध जिनके लिए सरकार की मंजूरी हो सकती है, बल्कि प्रदूषण फैलाने वालों से जुर्माना एकत्र करना भी शामिल है। उसी प्रकार यदि किसी शहर ने पूर्ण या आंशिक लागत वसूली का दावा किया था तो अंक प्रदान करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य, जैसे कि प्रकाशित आंकड़े या दर सूची, प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होगी।

मेरे शहर में कई समुदायिक या सार्वजनिक शौचालय हैं, फिर भी मुझे शौचालय की सुविधा के उपयोग और पहुँच के लिए सूचक में शून्य मिला है। क्यों?

इस सूचक के लिए प्रदान किए गए अंक नमूनों से संबन्धित परिणामों पर आधारित हैं और शहर को बहुत ही कम अंक मिल सकते हैं, यदि नमूनों में खुले में शौच पर खराब प्रदर्शन का संकेत मिलता है। श्रेणी-निर्धारण केवल उपलब्ध या निर्मित बुनियादी सुविधाओं से ही नहीं मापी जाती है, बल्कि इसका उचित और अधिकतम उपयोग भी होना चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें
शहरी विकास मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली 110 011 भारत
फोन: (91-11) 23061295 फैक्स: (91-11) 23062253
ई मेल: dirwslsg-mud@nic.in, वेबसाइट: www.urbanindia.nic

इस जानकारी नोट को तैयार करने हेतु तकनीकी समर्थन और मार्गदर्शन शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अधीन प्रदान किया गया।
इस जानकारी नोट को विवेक रमन एवं प्रोणिता चक्रवर्ती अग्रवाल, जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम, wspsa@worldban द्वारा तैयार किया गया।

एसी नील्सन और सीईपीटी द्वारा फोटोग्राफ
अंजली सेन गुप्ता द्वारा संपादित
रुट्स एडवर्टाइजिंग सर्विसेस प्रा. लि. द्वारा बनाया गया